



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

ICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE कोच्चिन. COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

सी.स./C.No.IV/16/05/2015- RTI

Date: 04.07.2017

## व्यापार स्चना/TRADE NOTICE NO: 05 /2017

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 - जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित। Sub: Right to Information Act, 2005-Appointment of CPIO - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता को इसके साथ सूचित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु, दिनांक 06.02.14 की व्यापार सूचना सं. 21/2014 की तालिका के अनुबंध - I में सूचित अनुसार श्री ई.के. बाबु, सहायक आयुक्त, को कु. पोन सुप्रिया, सहायक आयुक्त के स्थान पर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन, मुख्यालय के रूप में पदांकित किया गया है। उक्त के ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, Shri.E.K.Babu, Assistant Commissioner is designated as Central Public Information Officer (CPIO) of Central Tax & Central Excise, Cochin Hqrs. in the place of Ms. Pon Supriya, Assistant Commissioner for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 as shown at Annexure-I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014. The details of are shown below.

1	श्री ई.के.बाबु, सहायक आयुक्त एवं सी.पी.आई.ओ./ Shri. E.K. Babu Assistant Commissioner & CPIO	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोचिन./ Central Tax & Central Excise, Hqrs. Office, Cochin.	स्चना सं.21/2014 दिनांक: 06.02.2014 के अनुबंध -I में उल्लिखित है/As mentioned	
			है/As	

पुल्लेला नागेश्वरा राव/ Pullela Nageswara Rao
मुख्य आयुक्त/ Chief Commissioner

प्रति/Copy to:

सभी संबन्धित अधिकारी/The concerned officers (प्रेषण सूची 1 & 2 के अनुसार/ As As per Distribution List No. 1 & 2).

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है / Copy for information submitted to :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , केरल क्षेत्र, कोचिन/The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise Thiruvanathapuram Zone, Cochin.

2. संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी(जन सूचना),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन/The Joint Commissioner and 1st Appellate Authority

(RTI), Central Tax & Central Excise Hqrs., Cochin.

3. सूचना प्ह/Notice Board.

A EDR